मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 26, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. शपथ

संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती एल.बी.लोबो ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गए। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 73 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 81 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 358) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा बहिर्गमन किया गया)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आपत्ति व्यक्त करते हुए विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना पर जांच एवं चर्चा का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विषय को शून्यकाल के योग्य नहीं मानकर, इसकी चर्चा को कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश दिए गए।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले में जप्त की गई शक्कर उन्हीं व्यापारियों को वापस की जाने,

(2) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम स्थित सज्जन मिल बंद होने पर मजदूरों का भुगतान न होने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा के रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निकट की रोड का निर्माण न होने,

(4) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर के सीतामऊ में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विद्युत संबंधी कार्य न होने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश में सस्ती दर वाले अनाज की कालाबाजारी होने,

(6) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में कैरोसिन एवं खाद्यान्न का वितरण न होने,

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर के बिरला नगर स्थित प्रसूति गृह की हालत जर्जर होने,

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्सों की कमी होने एवं

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर की कराहल तहसील में प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब बेचने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) पटल पर रखा।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किये जाने से संबंधित लोकसभा एवं राज्यसभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त लोकसभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखी।

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का बावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009) तथा आयोग का वर्ष 2008-2009 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 (4) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2006-2007;तथा

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-39-2008-सूअप्र-एक-9, दिनांक 27 अगस्त 2009,

पटल पर रखीं।

7. जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांक के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :--

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2009
(क्रमांक 13 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2009)

(2) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2009
(क्रमांक 14 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2009)

(3) मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009
(क्रमांक 15 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2009)

(4) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियम) संशोधन विधेयक, 2009
(क्रमांक 8 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2009)

(5) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009
(क्रमांक 9 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2009)

(6) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009
(क्रमांक 16 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2009)

(7) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009
(क्रमांक 10 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2009)

(8) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009
(क्रमांक 11 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2009)

(9) मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2009
(क्रमांक 17 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2009)

10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2009 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009)	30 मिनिट
2.	भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 19 सन् 2009)	1 घण्टा
3.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009	1 घण्टा
7.	मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009	30 मिनिट
8.	वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, पुर:स्थापन एवं पारण	2 घण्टे
9.	संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 का अनुसमर्थन	30 मिनिट

10.	प्रदेश में रासायनिक खाद एवं बीज की कमी तथा काला बाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सुखदेव पांसे, आरिफ अकील तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण की सूचना	1 घण्टा 30 मिनिट
11.	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री भगवान सिंह, सुखदेव पांसे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, शिवनारायण मीना तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण की सूचना	1 घण्टा 30 मिनिट
12.	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2001-2002 पर चर्चा	2 घण्टे
13.	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-2008 पर चर्चा	2 घण्टे

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि दिनांक 25, 26 एवं 27 नवम्बर, 2009 को सदन की बैठकें नही रखी जायें।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय पर आपत्ति व्यक्त की गई। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि इस पर आपत्ति करना नियमानुसार उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी द्वारा कथित शब्दावली को विलोपित करने संबंधी व्यवस्था दी गई।

12. ध्यानाकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले में केन्द्र सरकार की ऋण माफी योजना का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के खाचरौद नागदा क्षेत्र में विद्यालयीन छात्रों को नियत मापदण्ड अनुसार गणवेश एवं सायकल का वितरण न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

13. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों का सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री केदारनाथ शुक्ला
(3) श्रीमती नीता पटेरिया
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(6) श्री रामलखन सिंह

14. वक्तव्य

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने दिनांक 28 जुलाई, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 107 (क्रमांक 4532) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

15. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को दो घण्टे का समय नियत किया गया।

16. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान, प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए दो स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमशः एक सदस्य, दो सदस्यों तथा एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सदस्य होने के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए (जो अनुसूचित जाति वर्ग का होगा) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच गुरूवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

19. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

20. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में रासायनिक खाद एवं बीज की कमी तथा कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति पर डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सुखदेव पांसे, श्री आरिफ अकील तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटेरिया) पीठासीन हुई।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(अपराह्न 1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)
सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटेरिया) पीठासीन हुई।

(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(6) श्री आरिफ अकील
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(8) डॉ. कल्पना परुलेकर
(9) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 3.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 27, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.